51619/2022/REGULATION-FSSAI

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240705
CG-DL-E-01122022-240705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944
No. 623] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

फा. सं. स्टैंडड्र्स/एसपी-08/ए-1-2020/एन-01.— खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इनके विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिन्हें एतद्पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा), के,-

(1) विनियम 5 के उप-विनियम (3) में,-

(क) खंड (ख) में 'परंतु यह कि' शब्दों से आरंभ होने वाले और 'लेबल पर पोषक तत्व' शब्दों से समाप्त होने वाले परंतुक के बाद निम्नलिखित को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

''परंतु यह भी कि आरडीए को प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंशदान तथा प्रति पैक परोसों की संख्या शिशु पोषण उत्पादों पर न दी जाए, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में परिभाषित किया गया है I"

(ख) खंड (ग) के,-

(i) मद (i) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(i) न्यूनतम प्रसंस्कृत कच्चे कृषि उत्पाद यथा गेहूँ, चावल, धान्य, दालें, फल और सब्जियाँ और/अथवा एकल संघटक वाले उत्पाद।

स्पष्टीकरण : न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य वह खाद्य होते हैं, जिन्हें परिरक्षण के मुख्य प्रयोजन के लिए थोड़ा सा बदला जाता है, परंतु जिससे खाद्य के पोषण अंश में सार्थक परिवर्तन नहीं होता। इसमें सफाई तथा अखाद्य अथवा अवांछनीय हिस्सों को अलग करना, पीसना, ठंडा करना, पाश्च्युरीकरण करना, किण्वित करना, प्रशीतित करना, और निर्वात्-पैकिंग करना शामिल हो सकता है I"

(ii) मद (ii) को विलोपित किया जाएगा I

(iii) मद (xiii) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्,-

"(xiii) ऊर्जा के स्रोतों का महत्व न होने पर, सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में, टेबलेट और कैप्सूल कें रूप में, स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकलस तथा विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य (एफएसडीयू) I"

(ग) खंड (घ) की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

''(घ) लेबल पर घोषित पोषक तत्वों की मात्रा के अनुपालन के संबंध में उस पोषक तत्व के मान पर ±20 प्रति शत छूट दी जाएगी, जिसे लेबल पर उत्पाद के घोषित भंडारण काल के अंदर किसी भी समय घोषित किया जाए I"

(2) विनियम 8 के,-

(क) खंड (1)(क) के बाद निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(1)(ख) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत अधिसूचित लोगो उस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जब पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमटर से अधिक न हो, परंतु यह सूचना बहु-इकाई पैकेजों पर दी जाएगी I"

(3) अध्याय-4 के, विनियम 10 की जगह निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"10. गैर-खुदरा पात्र की लेबलिंग अपेक्षाएँ

(1) गैर-खुदरा बिक्री के लिए अपेक्षित प्रत्येक पैकेजबंद खाद्य के संबंध मपर निम्नलिखित अनिवार्य सूचना या तो उसके पात्र पर दी जाए अथवा उसके साथ लगे लेबल पर दी जाए:

(क) खाद्य का नाम;

(ख) एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या;

(ग) उत्पाद की सुरक्षा और अखंडता के लिए आवश्यक होने पर, तिथि की मार्किंग और भंडारण निर्देश;

(घ) राशि संख्या/खेप संख्या/कोड संख्या, और

(ङ) उत्पादक अथवा पैकर का नाम और पता (आयातित पैकेजों के मामले में मूल देश के नाम सहित)।

परंतु यह कि कई किस्मों के खाद्य वाले गैर-खुदरा पात्र की स्थिति में अनिवार्य सूचना उसमें निहित प्रत्येक प्रकार के खाद्य के लिए दी जाएगी।

परंतु यह कि जिस गैर-खुदरा पात्र में उप-विनियम 10(1) में अपेक्षित संपूर्ण सूचना गैर-खुदरा पात्र के अंदर पूर्व पैकेजबंद खाद्यों के लेबल पर दृश्य और सुपाठ्य रूप में है, उस स्थिति में उप-विनियम 10(1) में निर्धारित सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

(2) निम्नलिखित सूचना लेबल पर न होने तो उसके संलग्नी प्रलेखों में दी जाए:

(क) संघटकों की सूची;

(ख) शाकाहार अथवा मांसाहार संबंधी घोषणा, और

(ग) निवल मात्रा।

परंतु यह कि उप-विनियम 10(2) में अपेक्षित सूचना गैर-खुदरा पात्र के खाद्य तक खोजी जा सके।

परंतु यह कि उप-विनियम 10(2) द्वारा अपेक्षित सभी सूचना लेबल पर दे दिए जाने पर उप-विनियम 10(2) लागू नहीं होगा।

खाद्य परिवहन यूनिट के रूप में प्रयुक्त ऐसे गैर-खुदरा पात्र की स्थिति में, जिस पर लेबल न लगाया जा सके, उप-विनियम 10(1) और 10(2) के तहत अपेक्षित सभी सूचना संलग्नी प्रलेखों में दी जाए अथवा किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से दी जाए (यथा खाद्य कारोबारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप में) तथा उसे ऐसे पात्र के खाद्य के संबंध में आसानी से खोजा जा सके।

(3) निम्नलिखित लेबलिंग अपेक्षाएँ बारकोड/ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीटीआईन) में दी हुई होने पर, निम्नलिखित पर छूट होगी:-

(क) ब्रांड के मालिक का पता, चाहे वह स्वयं उतपादक, विपणक, पैकर अथवा बोटलर, हो या न हो, जैसी भी स्थिति हो, तथा

(ख) लाइसेंस संख्या, यदि ब्रांड का मालिक उत्पादक अथवा विपणक अथवा पैकर अथवा बोटलर, न हो, जैसी भी स्थिति हो, ।

(4) गैर-खुदरा बिक्री के प्रत्येक पैकेज की आसानी से पहचान की जा सके। यदि वह इस रूप में आसानी से न पहचाना जा सकने वाला हो, तो :

(क) उसके साथ इस आशय का विवरण हो कि उसका खाद्य उपभोक्ता का सीधे बेचे जाने के लिए आशयित नहीं है अथवा उसे गैर-खुदरा पात्र के रूप में आसानी से पहचाना जा सकने वाला बनाया जाए। ऐसे विवरण के कुछ उदाहरण हैं:

''गैर-खुदरा पात्र''

अथवा

''गुर-खुदरा पात्र – उपभोक्ता को सीधे बिक्री के लिए नहीं''

(ख) उस पर कोई ऐसा अन्य चिह्न अंकित हो जिससे यह संकेतित हो कि उसकी सामग्री सीधे उपभोक्ता को बेचे जाने के लिए नहीं है।

(5) सामान्य सूचना:

(क) इस मानक अथवा किसी अन्य मानक के तहत लेबल पर अपेक्षित सूचना और विवरण साफ, दृश्यमान तथा सुपाठ्य हो और ऐसी रीति से दी जाए कि उससे छेड़-छाड़ का पता लग जाए।

(ख) लेबल पर उप-विनियम 10(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनिवार्य सूचना गैर-खुदरा पात्र के प्रमुख स्थान पर हो तथा उसे प्रहस्तन एवं प्रयोग की आम स्थितियों में आसानी से देखा जा सके ।"

(4) अनुसूची-1 के पैराग्राफ (1) की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्,-

"(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 के अनुसार पौष्टिकीकृत खाद्य के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर "................. (पोषक तत्व का नाम) से पौष्टिकीकृत" शब्द तथा निम्न-निर्दिष्ट लोगो दिया जाए। लोगो के नीचे "संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन" संदेश लाइन भी हो सकती है।"

(5) अनुसूची 2 के,-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) की सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के लिए, ''घोषणा'' वाले कॉलम के नीचे, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

''टिप्पणी: चेतावनी का यह विवरण पान मसाला से संबंधित विज्ञापनों में सुपाठ्य/सुश्रव्य हो''।

(ii) ''घोषणा'' वाले कॉलम के नीचे क्रम संख्या 3 के बिंदु (iv) की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

''(iv) फिनॉयलकेटोन्युरिक्स; बच्चों; गर्भवती अथवा स्तनपायी महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं (एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण अथवा एस्पार्टेम और एसिसल्फेम पोटाशियम के अधिमिश्रण/मिश्रण की स्थिति में)''

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (4) की सारणी के,-

(i) "घोषणा" वाले कॉलम के नीचे क्रम संख्या 3 के बिंदु (iv) की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(iv) फिनॉयलकेटोन्युरिक्स; बच्चों; गर्भवती अथवा स्तनपायी महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं (एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण अथवा एस्पार्टेम और एसिसल्फेम पोटाशियम के अधिमिश्रण/ मिश्रण की स्थिति में)"

(ii) "घोषणा" वाले कॉलम के नीचे क्रम संख्या 2 के "परंतु यह कि" शब्दों से आरंभ होने वाले और "मिश्रण में" शब्दों से समाप्त होने वाले परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि मिठासकारकों के कंबिनेशनों के लिए सूचना की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।"

(ग) "गर्भवती और स्तनपायी माताओं" शब्द, जहाँ कहीं ये आएँ, की जगह निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"गर्भवती अथवा स्तनपायी महिलाओं"

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./442/2022-23]

टिप्पणी.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी(लेबलिंग)/2014 (भाग 2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था:

1) फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02, दिनांक 10 सितंबर, 2021।
2) फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2021/एन-01, दिनांक 09 सितंबर, 2022।
3) फा. सं. स्टैंडर्ड/एस पी-08/ए-1-2020/एन-01, दिनांक 11 अक्तूबर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

F. No. STD/SP-08/A1.2022/N-01.— The following draft of certain regulations to further amend the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Amendment Regulations, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Regulations, 2020 (herein after refer as said regulations),-

(1) in sub-regulation (3) of regulation 5,

(a) in clause (b), after the proviso starting with 'provided that' and ending with "nutrients on the label" the following shall be inserted namely, -

"Provided further that per serve percentage (%) contribution to RDA and number of servings per pack may not be given for Infant Nutrition products as defined under Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020."

(b) in clause (c),

(i) item (i) shall be substituted with the following, namely, -

"(i) Raw agricultural minimally processed products such as wheat, rice, cereals, pulses, fruits and vegetables and/or products that comprise a single ingredient.

Explanation: Minimally processed foods are the ones that are slightly altered for the main purpose of preservation but which do not substantially change the nutritional content of the food. This may involve cleaning and removing inedible or unwanted parts, grinding, refrigeration, pasteurization, fermentation, freezing, and vacuum-packaging."

(ii) item (ii) shall be omitted.

(iii) item (xiii) shall be substituted with the following, namely, -

"(xiii) Health supplements, Nutraceuticals and Foods for Special Dietary Uses (FSDU) in tablet and capsule format, with respect to macronutrients, when sources of energy are insignificant."

(c) Clause (d) shall be substituted with following, namely, -

"(d) The compliance to quantity of declared nutrients on the label shall have the tolerance of ± 20 percent of the value for that nutrient declared on the label at any point in time within declared shelf life of the product."

(2) In regulation 8,

(a) after clause (1)(a) the following shall be inserted, namely, -

"(1)(b) The logos notified under Food Safety & Standards Regulations may not be given where the surface area of the package is not more than 100 square centimetres, but this information shall be given on the multi-unit packages."

(3) In Chapter-4, regulation 10, shall be substituted with the following namely, -

''**10. Labelling Requirements of non-retail container**

(1) Every packaged food meant for non-retail sale shall provide the following mandatory information either on the container or pasted on the label thereto:

(a) Name of the food;

(b) FSSAI Logo and License number;

(c) Date marking and storage instructions, when required for the safety or integrity of the product;

(d) Lot No. /Batch No. /Code No and

(e) Name and address of the manufacturer or packer (including country of origin for imported packages).

provided that in case of Non-retail container containing multiple types of food, the mandatory information shall be provided for all the types of foods contained therein.

provided that non-retail container, which provides access to all the information required by sub-regulation 10(1) on the label of pre-packaged foods within the non-retail container, the information stipulated in sub-regulation 10(1) is not required.

(2) The following information if not provided on the label shall be provided in the accompanying documents:

(a) List of ingredient;

(b) Declaration regarding Veg or Non-Veg and

(c) Net Quantity.

provided that the information required under sub-regulation 10(2) shall be traceable to the food in non-retail container.

provided that if all information required under sub-regulation 10(2) is made available on the label of non-retail container or pre-packaged foods within the non-retail container, sub-regulation 10(2) does not apply.

In the case of a non-retail container used as a food transportation unit that is not amenable to possess a label, all the information required under sub-regulation 10(1) & 10(2) shall be provided in the accompanying documents or through appropriate other means (e.g. electronically between food businesses) and shall be effectively traceable to the food in such containers.

(3) The following labelling requirements are exempted if they are provided in a Barcode/Global Trade Identification Number (GTIN); -

(a) Address of the brand owner whether or not, he himself is the manufacturer, marketer, packer or bottler, as the case may be and

(b) the license number of the manufacturer or marketer or packer or bottler, as the case may be, if different from the brand owner.

(4) Every package meant for non- retail sale shall be clearly identifiable as such. If the container is not clearly identifiable as a non-retail container, the container shall:

(a) bear a statement to indicate that the food is not intended to be sold directly to the consumer or to clearly identify it as a non-retail container. Some examples of such statements are:

"NON-RETAIL CONTAINER"

"NON-RETAIL CONTAINER - NOT FOR DIRECT SALE TO CONSUMER"

OR,

(b) carry any other mark that indicates that the container is not intended to be sold directly to the consumer.

(5) General Information:

(a) Information and the statements required to appear on the label by virtue of this Standard or any other Standards shall be clear, prominent, readily legible and applied in such a manner that any tampering with it will be evident.

(b) The mandatory information required on the label under sub-regulation 10 (1) shall appear in a prominent position on the non-retail container and shall be readily accessible under normal handling and use of the container.''

(4) in Schedule I, for the paragraph (1) following shall be substituted namely, -

"(1) Every package of food fortified as per FSS (Fortification of Foods) Regulations, 2018, shall carry the words "fortified with ………… (name of the fortificant)" and the logo, as specified below, on the label. It may also carry a tag line "Sampoorna Poshan Swasth Jeevan" under the logo."

(5) in Schedule II,

(a) in paragraph 1, in sub paragraph (3), in the table,

(i) for S. No. 1, the following shall be inserted, under column "Declarations", namely, -

"Note: This warning statement should be clearly legible/audible in advertisements related to Pan Masala".

(ii) for S. No. 3, under column "Declarations, point (iv) following shall be substituted namely, -

"(iv) Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant or lactating women (in case of Aspartame-Acesulfame salt or admixture/combination of Aspartame & Acesulfame Potassium)"

(b) in paragraph 1, in sub paragraph (4), in table,

(i) for S. No. 1, under column "Declarations", point (iv) the following shall be substituted namely, -

"(iv) Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant or lactating women (in case of Aspartame-Acesulfame salt or admixture/combination of Aspartame & Acesulfame Potassium)."

(ii) for S. No. 2, under column "Declarations", after the proviso starting with 'provided that' and ending with "in the mixture", the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that the repetition of information may not be required for combination of sweeteners."

(c) The words "pregnant and lactating mothers", wherever it appears, shall be substituted with the following namely, -

"pregnant or lactating women".

S GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./442/2022-23]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary part III, section 4, *vide* notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014(Pt-2), dated the 17th November, 2020 and subsequently amended *vide* notification number, -

1. F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02, dated 10th September, 2021.
2. F. No. Std/SP-08/A-1.2021/N-01, dated the 09th September, 2022.
3. F. No. Std/SP-08/A-1-2020/N-01, dated the 11th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.